सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 306 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :–07.10.2025

GCMS ID-2025 / 455

बउनवान

1. राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम आयु 55 वर्ष, जाति–गुर्जर, निवासी नेगढ़, तहसील– हिण्डोली, जिला–बून्दी राज०

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 19 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 143, 147 पुराना 148, 149 की भूमि खं.सं. 498 रकबा 0.0162, खं.सं. 499 रकबा 0.4856, खं.सं. 500 रकबा 0.5099, खं.सं. 501 रकबा 0.5827, खं.सं. 502 रकबा 0.0890, खं.सं. 503 रकबा 0.4613, खं.सं. 504 रकबा 0.6232, खं. सं. 801 रकबा 0.2833, खं.सं. 802 रकवा 0.1862, खं.सं. 803 रकबा 0.1214, खं.सं. 804 रकबा 0.1133, खं.सं. 808 रकबा 0.2104, खं. सं. 809 रकबा 0.1295, खं.सं. 812 रकबा 0.0324, खं.सं. 805 रकबा 0.0081, खं.सं. 810 रकबा 0.1295, खं.सं. 811 रकबा 0.1214, खं.सं. 814 रकबा 0.6232, खं. सं. 815 रकबा 0.1700, खं.सं. 816 रकबा 0.3399, खं.सं. 818 रकबा 0.0405, कुल किता 21 कुल रकबा 5.277 हैक्टेयर वाके ग्राम नेगढ़ पटवार मण्डल नेगढ़, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी विस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काशत करता चला आ रहा है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम फोरू आ० भोजा, जाति गुर्जर दर्ज हो रहा है, प्रार्थी वर्तमान का

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

को नाम राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था में घर पर फोरू के नाम से पुकारते थे, इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये बिना राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का घरेलु नाम फोरू के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर है, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय हैं। बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, यह कि प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि व ग्राम नेगढ़ में अवस्थित भूमि जिसके नया खाता संख्या 215 में भी प्रार्थी का नाम राम लाल गुर्जर आ० भोना राम जाति गुर्जर दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम फोरु आ० भोजा, दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर फोरू आ० भोजा के स्थान पर राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेशा लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरुस्त करने से दिनांक 25–8–2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हे कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना नाम फोरू आ० भोजा के इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर दर्ज करवावे एंव उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर सही नाम राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम नेगढ़, पटवार मण्डल नेगढ़ तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी में विस्थित होने से एंव श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एंव तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या नया 143, 147 पुराना 148, 149 की भूमि ख.सं. 498 रकबा 0.



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

162, खं.सं. 499 रकबा 0.4856, खं.सं. 500 रकबा 0.5099, खं.सं. 501 रकबा 0.5827, खं. सं. 502 रकबा 0.0890, खं. सं. 503 रकबा 0.4613, खं. सं. 504 रकबा 0.6232, खं.सं. 801 रकबा 0.2833, खं.सं. 802 रकबा 0.1862, खं.सं. 803 रकबा 0.1214, खं.सं. 804 रकबा 0.1133, खं.सं. 808 रकबा 0.2104, खं. सं. 809 रकबा 0.1295, खे.सं. 812 रकबा 0.0324, खं.सं. 805 रकबा 0.0081, खं.सं. 810 रकबा 0.1295, खं.सं. 811 रकबा 0.1214, खं.सं. 814 रकबा 0.6232, खं. सं. 815 रकबा 0.1700, खं.सं. 816 रकबा 0.3399, खं. सं. 818 रकबा 0.0405, कुल किता 21 कुल रकबा 5.277 हैक्टेयर वाके नेगढ़, पटवार मण्डल राज० के राजस्व नेगढ, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम फोरू आ० भोजा के इन्द्राज को दुरुस्त कर उक्त स्थान पर राम लाल गुर्जर आ० भोजा राम जाति गुर्जर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/3429 दिनांक :–22.12.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम नेगढ के खाता संख्या 143 में प्रार्थी का नाम फौरू पुत्र भोजा सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज फौरू पुत्र भोजा व रामलाल पुत्र भोजा एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज फौरू पुत्र भोजा के स्थान पर पर प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र भोजा शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामलाल पुत्र भोजा है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"**

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम रामलाल पुत्र भोजा है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम नेगढ प0मं0 नेगढ के खाता संख्या 143 में दर्ज प्रार्थी का नाम फौरू पुत्र भोजा के स्थान पर रामलाल पुत्र भोजा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–19.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

19/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446